पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 266/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 27.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 27.08.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाहियां की गयीः-

01-थाना –मेहनाजपुर : घर से फरार किशोर को बरामद कर परिजनों की किया गया सुपुर्द

अवगत कराना है कि दिनांक 23.08.2024 को वादी मुकदमा कमलेश पुत्र कल्पू ग्राम गंगवल, पोस्ट सिधौना, थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़ द्वारा थाना मेहनाजपुर पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 22-08-2024 को वादी का पुत्र यश कुमार, उम्र करीब 14 वर्ष घर से बिना बताये कही चला गया काफी खोजबीन करने के पश्चात कही नही मिला। उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-139/2024 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार द्वारा प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में दिनांक 26.08.2024 को व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीडित यश कुमार मंडुआडीह रेलवे स्टेशन वाराणसी पर मौजूद है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश के क्रम में व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह व पीडित के परिजन के साथ मंडुआडीह रेलवे स्टेशन से पीडित यश कुमार पुत्र कमलेश कुमार ग्राम गंगवल थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को बरामद कर परिजनो को समय करीब 8.00 बजे सुपुर्द किया गया।

पूछताछ का विवरण- पीडित यश कुमार ने बताया कि दिनांक 22.08.2024 की सुबह को उसके पिता कमलेश ने उसे पढने के लिए व मोटर सायकिल न चलाने के लिए डाटा था जिससे नाराज होकर वह घर पर बिना किसी को अपनी मर्जी से चला गया था।

बरामद करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव थाना मेहनाजपु जनपद आजमगढ़।

02-थाना तरवां : विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त 60 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार

दिनांक 25.08.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि वादिनी की बहन जो मन्द बुद्धी है के साथ दिनांक-24.08.2024 की रात्रि-8.00 बजे अभियुक्त रमेश राजभर पुत्र रूदल राजभर ग्राम मुरारपुर (चौर) थाना तरवा जनपद आजगमढ़ ने दुष्कर्म किया। वादिनी व उसका भाई अभियुक्त के घर गये तो अभियुक्त मारने के लिए दौड़ा लिया । जिसेक सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 248/2024 धारा 64, 115(2), 352, 351(2), 131 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार द्वारा प्रारम्भ की गयी।

विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को तत्काल संज्ञान में लेते हुये **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** ने अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष तरवां को निर्देशित किया। जिसके क्रम में आज दिनांक 27.08.2024 को थानाध्यक्ष तरवां उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह ने मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रमेश राजभर पुत्र रूदल राजभर ग्राम मुरारपुर (चौर) थाना तरवा जनपद आजगमढ़ को खरिहानी बाजार से समय करीब 6.00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष तरवां उ0नि0 प्रदीप कुमार, का0 सौरभ सिंह, का0 अभिषेक यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

03-थाना गम्भीरपुर : अवैध तमन्चा करातूस के साथ सातिर अपराधी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा अवैध असलहा रखने वाले अवैध असलहो का निर्माण एवं तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.08.2024 को उ0नि0 ज्ञान प्रकाश यादव मय हमराह ने विषहम मोड से आकाश यादव उर्फ पिन्टू पुत्र रामनरायन यादव निवासी ग्राम टेकमलपुर थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को 01 देशी पिस्टल व 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर के साथ समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार किया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 328/2024 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति
वादी दिवस जनपद आजमगढ़

आज दिनांक- 27.08.2024 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा **वादी दिवस** का आयोजन पुलिस लाईन स्थित सभागार में किया गया। जिसमें **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल** के साथ जनपद के **समस्त क्षेत्राधिकारीगण** उपस्थित रहे।

➡ 01 वर्ष से अधिक लम्बित 38 विवेचनाओं के वादी मुकदमा और विवेचक उपस्थित हुये।

➡ अभियोगवार विवेचनात्मक कार्यवाही की प्रगति व लम्बित के कारणों की समीक्षा की गयी।

➡ वादी मुकदमा से अभियोगवार विवेचनात्मक कार्यवाही की संतुष्टी के सम्बन्ध में वार्ता किया गया। तत्पश्चात उपस्थित विवेचक से जानकारी चाही गयी। उपस्थित विवेचको द्वारा प्रगति से अवगत कराया गया।

➡ विवेचकों को विवेचना निस्तारण के सम्बन्ध में आ रही विधिक कठिनाइयों के सम्बन्ध में विधिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उपस्थित अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी गण को अर्दली रुम का आयोजन कर लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण हेतु गतिशिलता प्रदान करने विषयक निर्देश निर्गत किया गया।

➡ उपस्थित विवेचकों को साईबर क्राइम, आईटी एक्ट, गुमशुदगी, नौकरी / पैसा दोगुना / अन्य फ्राड के सम्बन्ध विवेचनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया तथा प्रश्नोत्तर किया गया।